

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
राष्ट्रीय अभिलेखागार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, सरकारी पुस्तकालयों तथा  
संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना  
**2017-2018**

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अभिलेखों/पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों, अभिलेख के छायाचित्रों प्रिंट्स, (ओलियोग्राफ एवं लिथोग्राफी) एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की मार्ग-दर्शिका के संकलन, प्रकाशन, सूचीकरण, सूची पत्रीकरण, मरम्मत, परिरक्षण, संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग, डिजिटाइजेशन, दस्तावेज कक्षों की एयर कंडीशनिंग, रेप्रोग्राफी तथा संरक्षण सामग्रियों तथा कंप्यूटर की खरीद, तथा भवन निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन/नवीनीकरण के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और संग्रहालय से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा रूपे 50 लाख (पचास लाख) है, जो कि 75:25 के अनुपात में दी जाती है, जिसमें परियोजना की पूरी लागत में केंद्रीय सरकार का अंशदान 75% तथा राज्य सरकार का अंशदान 25% होता है।

वे अभिलेख जिनकी अनुदान समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के लिए सिफारिश की गई, उन्हें एकमुश्त 50 लाख रूपे तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जहां पहले से गठित है/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति के साथ आवेदन अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अवश्य भेजे दिए जाएं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट [www.nationalarchives.nic.in](http://www.nationalarchives.nic.in) पर Grants-in-aid Section home page पर देखें।

हिंदुस्तान टाइम्स ई-पेपर- 6 मई 2017

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय  
राष्ट्रीय अभिलेखागार

राज्य/संघ क्षेत्र अभिलेखागार संग्राहक,सरकारी पुस्तकालय,  
संग्रहालय हेतु वित्तीय सहायता

**2017 18**

उपरोक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अभिलेखागार संग्राहक, सरकारी पुस्तकालय/संग्रहालय से आवेदनों को आमंत्रित करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट [www.nationalarchives.nic.in](http://www.nationalarchives.nic.in) पर Grants-in-aid Section home page पर देखें।

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जहां पहले से गठित है/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति के साथ आवेदन अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अवश्य भेजे दिए जाएं।

डीएवीपी 09108/11/0007/1718